

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

पत्रांक 154(7A)
07/रा०आ०मि०-39-01/2021

पटना, दिनांक 07/05/2026

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

विषय :- वित्तीय वर्ष 2026-27 में "राष्ट्रीय आयुष मिशन" अन्तर्गत SNA-SPARSH के तहत mother sanction के रूप में भारत सरकार से प्राप्त राशि 27,93,68,000 रुपये एवं आनुपातिक राज्यांश की राशि 18,62,45,333 रुपये अर्थात् कुल 46,56,13,333 (छियालीस करोड छप्पन लाख तेरह हजार तीन सौ तैंतीस) रुपये के व्यय निमित्त अधिसीमा की स्वीकृति ।

आदेश- स्वीकृत ।

2. राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक S-16030/36/2026-NAM दिनांक 20.03.2026 द्वारा बिहार राज्य के लिए "राष्ट्रीय आयुष मिशन" अन्तर्गत SNA-SPARSH के तहत 27,93,68,000 (सताईस करोड तिरानबे लाख अडसठ हजार) रुपये mother sanction के रूप में प्राप्त हुआ है, जिसके आलोक में आनुपातिक देय राज्यांश की राशि (60:40) निम्नवत है (राशि रुपये में) :-

क्रम	Central Budget Head	केन्द्रांश	देय राज्यांश	कुल
1	3601-06-101-050231	12,79,10,000	8,52,73,333	21,31,83,333
	3601-06-101-050235	12,37,32,000	8,24,88,000	20,62,20,000
	कुल	25,16,42,000	16,77,61,000	41,94,03,333
2	3601-06-789-030231	2,40,78,000	1,60,52,000	4,01,30,000
	3601-06-789-030235	11,34,000	7,56,000	18,90,000
	कुल	2,52,12,000	1,68,08,000	4,20,20,000
3	3601-06-796-030231	13,80,000	9,20,000	23,00,000
	3601-06-796-030235	11,34,000	7,56,000	18,90,000
	कुल	25,14,000	16,76,000	41,90,000
कुल योग		27,93,68,000	18,62,45,333	46,56,13,333

3. राज्य आयुष समिति के पत्रांक 320 (SASB) दिनांक 21.04.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए "राष्ट्रीय आयुष मिशन" अन्तर्गत SNA-SPARSH के तहत mother sanction के रूप में भारत सरकार से प्राप्त राशि 27,93,68,000 रुपये एवं आनुपातिक राज्यांश की राशि 18,62,45,333 रुपये अर्थात् कुल 46,56,13,333 (छियालीस करोड छप्पन लाख तेरह हजार तीन सौ तैंतीस) रुपये के व्यय निमित्त अधिसीमा की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4. राज्य आयुष समिति से प्राप्त अनुरोध के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए "राष्ट्रीय आयुष मिशन" अन्तर्गत SNA-SPARSH के तहत mother sanction के रूप में भारत सरकार से प्राप्त राशि 27,93,68,000 रुपये एवं आनुपातिक राज्यांश की राशि 18,62,45,333 रुपये अर्थात् कुल 46,56,13,333 (छियालीस करोड छप्पन लाख तेरह हजार तीन सौ तैंतीस) रुपये की राशि के व्यय निमित्त अधिसीमा की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस राशि का व्यय राज्य आयुष समिति, सभी जिला आयुष समिति तथा आयुष प्रक्षेत्र के कालेज एवं अस्पताल के द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेश/ निहित प्रावधानों के आलोक में सुनिश्चित किया जायेगा।

5. "राष्ट्रीय आयुष मिशन" योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य आयुष समिति, सभी जिला आयुष समिति तथा आयुष प्रक्षेत्र के कालेज एवं अस्पताल Implementing Agency (IA) के रूप में नामित है। अतएव राज्य आयुष समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणी के आधार पर संबंधित Implementing Agency (IA) को स्वीकृत राशि का व्यय हेतु अधिसीमा उपलब्ध कराई जायेगी।

6. ई-कुबेर के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि "Just in time" पर जारी करने हेतु SNA-SPARSH Module (PFMS Division) के अन्तर्गत विभाग द्वारा राज्य आयुष समिति के माध्यम से खोले गये Account की विवरणी निम्नवत है -

केन्द्र प्रायोजित योजना का नाम	SNA-SPARSH खाता का नाम	SNA-SPARSH खाता संख्या
National Ayush Mission	GOBHSPARSH BR176NAM9158 Reserve Bank Of India, Patna	01585501193

7. ज्ञातव्य हो कि वित्त विभागीय पत्रांक 410 दिनांक 12.06.2025 के आलोक में SNA-SPARSH Module में अधिसूचित केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के सफल क्रियान्वयन हेतु अधिसूचित स्कीमों को Component wise (General, SCSP & TSP) एक ही Head of Account (Central Head) से केन्द्रांश एवं राज्यांश से e-Payment हेतु दावा/विपत्र (Claim/Bill) बनाने की व्यवस्था की गई है।

8. वित्तीय वर्ष 2026-27 में "राष्ट्रीय आयुष मिशन" अंतर्गत SNA-SPARSH के तहत स्वीकृत राशि 46,56,13,333 (छियालीस करोड छप्पन लाख तेरह हजार तीन सौ तैंतीस) रुपये की निकासी निम्न बजट शीर्ष से की जायेगी :-

क्रम	बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	केन्द्रांश	राज्यांश	राशि (अधिसीमा)
1.	मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्य शीर्ष-02-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं अन्य चिकित्सा पद्धतियां, लघु शीर्ष-200- अन्य पद्धतियां, उप शीर्ष-0202- औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन, विपत्र कोड 20-2210022000202	3104	17,50,200	11,66,800	29,17,000
		3105	12,37,32,000	8,24,88,000	20,62,20,000
		3106	12,61,59,800	8,41,06,533	21,02,66,333
		कुल	25,16,42,000	16,77,61,000	41,94,03,333

ky

2.	मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्य शीर्ष-02-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं अन्य चिकित्सा पद्धतियां, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0201- औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन, विपत्र कोड 20-2210027890201	3105	11,34,000	7,56,000	18,90,000
		3106	2,40,78,000	1,60,52,000	4,01,30,000
		कुल	2,52,12,000	1,68,08,000	4,20,20,000
3.	मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्य शीर्ष-02-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं अन्य चिकित्सा पद्धतियां, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष-0201- औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन, विपत्र कोड 20-2210027960201	3105	11,34,000	7,56,000	18,90,000
		3106	13,80,000	9,20,000	23,00,000
		कुल	25,14,000	16,76,000	41,90,000
कुल योग			27,93,68,000	18,62,45,333	46,56,13,333

9. स्वीकृत की गयी राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राज्य आयुष समिति के लिए अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग होंगे। इसी प्रकार राज्य के सभी जिला आयुष समिति तथा आयुष प्रक्षेत्र के कालेज एवं अस्पताल हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्राचार्य /अधीक्षक होंगे। उक्त केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं होंगे। राज्य आयुष समिति, जिला आयुष समिति तथा आयुष प्रक्षेत्र के कालेज एवं अस्पताल, आदि सभी कार्यान्वयन एजेंसियां भारत सरकार तथा वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप विधिवत प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए राशि व्यय करेंगे।

10. योजना अन्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में स्वीकृत राशि का व्यय "Just in time" release of Centrally Sponsored Scheme (CSS) funds through SNA SPARSH Model के अनुसार वित्त विभाग के पत्रांक 879 दिनांक 24.01.2025 सहपठित Department of Expenditure (PFMS Division), Ministry of Finance, Govt. of India के Office Memorandum F.No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक 13.07 2023 एवं Office Memorandum F.No.1(27)/PFMS/2020 दिनांक 07.08.2023 में निहित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।

11. यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि(2) दिनांक 17.04.1998, 2880/वि(2) दिनांक 06.05.2006, 2938/वि(2) दिनांक 08.04.2008 तथा राज्यादेश संख्या 256/वि० दिनांक 26.02.2019, 732/वि० दिनांक 31.07.2019, 1081/वि० दिनांक 11.12.2019 एवं 12888/वि० दिनांक 03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

Ly

12. स्वीकृत राशि की निकासी राज्य आयुष समिति के मामले में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं अन्य के मामले में संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी ।

13. राज्य आयुष समिति द्वारा स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार उपलब्ध कराये जाने की अनिवार्यता होगी ।


14. राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

15. स्वीकृत राशि का आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा ।

16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।

17. प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है ।

विश्वासभाजन


(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक 07/05/2026

जापांक 154 (7A)


07/रा०आ०मि०-39-01/2021

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बिहार/योजना एवं विकास विभाग, बिहार/कार्यपालक निदेशक, राज्य आयुष समिति, पटना/वित्त प्रबंधक, राज्य आयुष समिति, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्राचार्य/अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- माननीय मुख्य (स्वास्थ्य) मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं/निदेशक (आयुर्वेद), आयुष निदेशालय/श्री शैलेश कुमार, विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा एवं प्रशाखा 16 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं उक्त सभी को इ-मेल के माध्यम से सूचित करने के निदेश के साथ प्रेषित ।


सरकार के अपर सचिव
Nesal